संख्या:-23/2024/आई503486/001-37आ0/23-5002-002-9-2024
(कम्प्यूटर सं0-1790831)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-29-00-24 "दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य(नये कार्य)" के अन्तर्गत जनपद बांदा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर नगर, बलिया, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, चन्दौली व गाजीपुर के 27 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-29-00-24 "दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य(नये कार्य)" के अन्तर्गत जनपद बांदा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर नगर, बलिया, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, चन्दौली व गाजीपुर के 27 कार्यों हेतु आगणन लागत रू0 58.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष **रू0 58.00 लाख(रू0 अट्ठावन लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
				(धनराशि रू0 लाख में)	
1	122/9(दिव्यांगजन)बी0पी0-विंग/2024, दिनांक 29.01.2024	बांदा	बांदा में कार्यालय परिसर, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बांदा में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.53	01.53
2	तदैव	तदैव	बांदा के सर्किट हाउस, बांदा में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.79	01.79
3	तदैव	तदैव	बांदा में कार्यालय परिसर, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बांदा में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.39	01.39
4	246/9(दिव्यांगजन)बी0पी0-विंग/2024, दिनांक 02.02.2024	बांदा	बांदा में वृत्तीय कार्यालय में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.39	01.39
5	तदैव	तदैव	बांदा में निरीक्षण भवन, बांदा में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.39	01.39
6	108जी/9(दिव्यांगजन) बी0पी0-विंग/2024, दिनांक 05.02.2024	अलीगढ़	अलीगढ़ के कार्यालय मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के कार्यालय परिसर में दिव्यांगजन महिलाओं हेतु शौचालय का निर्माण कार्य(02 नग)।	09.04	09.04
7	तदैव	तदैव	अलीगढ़ के कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के कार्यालय परिसर में दिव्यांगजन महिलाओं हेतु शौचालय का निर्माण कार्य(02 नग)।	09.17	09.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8	320/9(दिव्यांगजन)बी0 पी0-विंग/2024, दिनांक 31.01.2024	झांसी	झांसी के निरीक्षण भवन बंगरा में रैम्प का निर्माण कार्य(01 नग)।	01.51	01.51
9	तदैव	तदैव	झांसी के निरीक्षण भवन सकरार में रैम्प का निर्माण कार्य(01 नग)।	01.06	01.06
10	तदैव	तदैव	झांसी के निरीक्षण भवन पण्डवाहा में रैम्प का निर्माण कार्य(01 नग)।	01.15	01.15
11	तदैव	तदैव	झांसी के निरीक्षण भवन मऊरानीपुर में रैम्प का निर्माण कार्य(01 नग)।	01.15	01.15
12	तदैव	तदैव	झांसी के निरीक्षण भवन भण्डरा में रैम्प का निर्माण कार्य(01 नग)।	01.25	01.25
13	तदैव	तदैव	झांसी के निरीक्षण भवन घुघुवा में रैम्प का निर्माण कार्य(01 नग)।	02.03	02.03
14	291/9(दिव्यांगजन)बी0 पी0-विंग/2024, दिनांक 02.02.2024	कानपुर नगर	कानपुर नगर में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, सिविल लाईन, कानपुर नगर में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.04	01.04
15	तदैव	तदैव	कानपुर नगर में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0 मकराबर्टगंज, कानपुर नगर में रैम्प का निर्माण कार्य।	03.13	03.13
16	तदैव	तदैव	कानपुर नगर में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, सरसैयाघाट, कानपुर नगर में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.23	01.23
17	तदैव	तदैव	कानपुर नगर में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, एन0एच0 मकराबर्टगंज, कानपुर नगर में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.04	01.04
18	259/9(दिव्यांगजन)बी0 पी0-विंग/2024, दिनांक 02.02.2024	बलिया	बलिया के निरीक्षण भवन परिसर स्थित पुराने निरीक्षण भवन हेतु दिव्यांगजन के लिए रैम्प का निर्माण कार्य।	01.93	01.93
19	तदैव	तदैव	बलिया के निरीक्षण भवन परिसर स्थित नवीन निरीक्षण भवन हेतु दिव्यांगजन के लिए रैम्प का निर्माण कार्य।	01.93	01.93
20	161/9(दिव्यांगजन)बी0 पी0-विंग/2024, दिनांक 02.02.2024	हमीरपुर	हमीरपुर के निरीक्षण भवन राठ में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.00	01.00
21	तदैव	चित्रकूट	चित्रकूट के कार्यालय परिसर प्रा0खं0 चित्रकूट में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.26	01.26
22	तदैव	हमीरपुर	हमीरपुर के निरीक्षण भवन हमीरपुर में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.57	01.57
23	तदैव	तदैव	हमीरपुर के निरीक्षण भवन मौदहा में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.47	01.47
24	तदैव	महोबा	महोबा के कार्यालय परिसर प्रा0खं0, महोबा में रैम्प का निर्माण कार्य।	01.50	01.50
25	290/9(दिव्यांगजन)बी0 पी0-विंग/2024, दिनांक 02.02.2024	ललितपुर	ललितपुर में विभिन्न 06 स्थानों पर दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाने का कार्य।	05.68	05.68
26	410/9(दिव्यांगजन)बी0 पी0-विंग/2024, दिनांक 08.02.2024	चंदौली	चंदौली में कार्यालय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चंदौली में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प का निर्माण कार्य।	00.78	00.78
27	तदैव	गाजीपुर	गाजीपुर में कार्यालय निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, गाजीपुर के अन्तर्गत निरीक्षण भवन, लो0नि0वि0, मुहम्मदाबाद में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प का निर्माण कार्य।	00.59	00.59
योग :-				**58.00**	**58.00**

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में प्राप्त बचत की धनराशि को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(5) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रनओवर/टाइम रनओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 58,00,000(रूपये अट्ठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059800512900 दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य(नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

..../04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-23/2024/आई503486/001-37आ0(1)/23-5-2024-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- जिलाधिकारी, जनपद बांदा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर नगर, बलिया, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, चन्दौली व गाजीपुर।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद बांदा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर नगर, बलिया, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, चन्दौली व गाजीपुर।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, झांसी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, आजमगढ़ क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, अलीगढ़ वृत्त, झांसी वृत्त, कानपुर वृत्त, बलिया वृत्त, हमीरपुर वृत्त, वाराणसी वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बांदा।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1/निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बांदा।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
18- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया।
19- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
20- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चित्रकूट।
21- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ललितपुर।
22- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली।
23- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।